RAMANUJAN COLLEGE LIBRARY

(UNIVERSITY OF DELHI)

April 2025

NEWSPAPER CLIPPINGS

डीयू में सीट बचने पर ही मिड एंट्री में दाखिला दिया जाएगा

नई दिल्ली, प्र. सं. । दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक दाखिला प्रक्रिया के तहत इस बार भी मिड एंट्री का प्रावधान किया है। डीयू ने स्पष्ट किया है कि यदि सीट बचेगी तभी मिड एंट्री में आवेदन करने वाले छात्रों को दाखिला मिल पाएगा।

डीयू ने कहा कि जो छात्र 12वीं की बोर्ड परीक्षा में किसी विषय में असफल हैं, वे छात्र मिड एंट्री में ही दाखिला ले पाएंगे। क्योंकि कंपार्टमेंट का परिणाम आने के बाद ही वे डीयू में दाखिले के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में आवेदन कर पाएंगे। हालांकि, ऐसे छात्रों को भी सीयूईटी की परीक्षा देनी जरूरी होगी। मिड एंट्री प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय उन उम्मीदवारों को अवसर देने के लिए एक चरण खोलेगा जो सीएसएएस (यूजी)-2025 के लिए आवेदन करने में असफल रहे और भाग लेने के इच्छुक हैं। ऐसे उम्मीदवार 1000 रुपये (गैर-वापसी योग्य) के शुल्क का भुगतान करके मिड एंट्री में प्रवेश कर पाएंगे। मिड एंट्री वालों को प्रारंभिक आवेदन चरण के दौरान सीएसएएस (यूजी)-2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवंटित सीटों पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

छात्र संघों की ऐतिहासिक भूमिका

लोकतंत्र में छात्र संघों और छात्र नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छात्र संघ युवा मन का सकारात्मक, संगठित और साकार रूप हैं। वे युवाओं की शक्ति और ऊर्जा के अभिव्यक्त और मान्य प्रतिनिधि रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, आपातकाल विरोधी आंदोलन, राम मंदिर निर्माण आंदोलन, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) द्वारा चलाए गए आंदोलन, आरक्षण संबंधी सामाजिक न्याय आंदोलन, श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रध्वज फहराने संबंधी तिरंगा आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना/ लोकपाल आंदोलन तक सभी बड़े समाज-सत्ता प्रतिष्ठान बदलने संबंधी आंदोलनों में छात्रों और छात्र संघों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उल्लेखनीय है कि आपातकाल विरोधी आंदोलन में दिल्ली विवि छात्र संघ (डूसू), जवाहरलाल नेहरू विवि छात्र संघ और पटना विवि छात्र संघ की अग्रणी भूमिका थी। अरुण जेटली, विजय गोयल, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, देवी प्रसाद त्रिपाठी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद आदि तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई और लंबे संघर्ष के बाद देश में लोकतंत्र की बहाली हुई। यह वह दौर था, जब छात्र व्यवस्था में सुधार या बदलाव की सकारात्मक राजनीति करते थे। वे व्यक्तिगत स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं से परे जाकर सामाजिक- राष्ट्रीय मुद्दों और छात्रहित के लिए त्याग व समर्पण के साथ काम करते थे। वे सपने देखने वाले जुनूनी लोग थे। वे 'करियरिस्ट' नहीं थे। राजनीति उनके लिए करियर नहीं थी। वे कामन स्टूडेंट्स में से निकले हुए असाधारण प्रतिभा वाले मेहनती और जुझारू लोग थे। इसलिए उनका छात्रों पर प्रभाव होता था। छात्र उनके आह्वान पर, उनकी एक आवाज पर जुड़ते और जुटते थे। निश्चय ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुत अधिक महत्व होता है। सच्चे प्रतिनिधि व्यवस्था के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं और असुविधाजनक सवाल भी उठाते हैं। मगर कानून को अपने हाथ में लेने या गैर-कानूनी और हिंसात्मक हथकंडों का प्रयोग उनकी नैतिक आभा को धूमिल करता है। इसलिए साधन और साध्य की पवित्रता में संतुलन बनाते हुए छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था का विरोध भी किया जाना चाहिए। ज्ञापन, संवाद, धरना-प्रदर्शन, अनशन, बहिष्कार, सविनय असहयोग / अवज्ञा आदि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा सकती है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है, पहचान बनाई जा सकती है और व्यवस्था विरोध की लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। लेकिन इन साधनों को अपनाने के लिए समझदारी, धैर्य और आत्मबल चाहिए। ये तीनों ही गुण लुप्तप्राय: हैं। छात्र- वर्तमान समाज से समुदाय भी इसका अपवाद नहीं है।

वर्तमान छात्र - राजनीति को अपने गौरवशाली इतिहास को जानने की आवश्यकता है। उन कारणों और साधनों को भी समझना जरूरी है जिनकी वजह से कोई आंदोलन गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बनता है। जिस तरह मुख्यधारा की राजनीति रेवड़ी संस्कृति और राबिनहुडवाद की शिकार हो गई है, छात्र राजनीति को उसकी नकल करने से बचते हुए पापुलिस्ट मुद्दों को अपना लक्ष्य न बनाते हुए संस्थान हित व छात्र हित के लिए संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पापुलिज्म और शार्टकट जितने आकर्षक दिखते हैं, उससे कहीं अधिक अनर्थकारी होते हैं। (प्रो. रसाल सिंह)

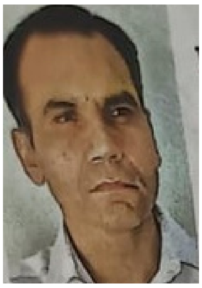

प्रो. रसाल सिंह
प्राचार्य, रामानुजन कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

बेलगाम छात्र राजनीति पर अंकुश का समय

दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले कुछ वर्षों में, खासकर इस सत्र में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति के शुद्धीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया है । चुनाव प्रक्रिया को धनबल और बाहुबल से मुक्त करके, लिंगदोह नियमावली को व्यावहारिक बनाकर और उसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करके एक बार फिर छात्र राजनीति को रचनात्मक एवं सकारात्मक बनाया जा सकता है । व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर संस्थान हित को सर्वोपरि मानने वाले छात्र नेता ही छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के वास्तविक हकदार हैं

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के वर्तमन अध्याश ने पिछले दिनों विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित जवाहर वाटिका के ताले हथौड़े से तोड़ दिए और रोकने वाले सुरक्षाकर्मियों को डराया-धमकाया। इसी प्रकार उन्होंने कुछ दिन पहले श्रीराम कालेज आफ कामर्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में घुसकर वहां के शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ अभद्र और अमर्यादित व्यवहार किया था। उनके इस व्यवहार से शिक्षा जगत खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय स्तब्ध और क्षुब्ध है। श्रीराम कालेज आफ कामर्स शिक्षक संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ सहित लगभग सभी शिक्षक संगठनों और हजारों छात्रों-शिक्षकों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उनकी ऐसी अराजकतापूर्ण और असभ्यतापूर्ण करतूतों की फेहरिस्त लंबी है।

वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष शान बघारने और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए स्टंटबाजी करते रहते हैं और उनकी रील्स बनाकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर बहुप्रसारित कराते हैं। ऐसा आचरण घोर आपत्तिजनक, निंदनीय और अक्षम्य है। विवि प्रशासन को ऐसे अमर्यादित व्यवहार और हिंसक आचरण का गंभीर संज्ञान लेकर उपयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा यह बेलगाम होती प्रवृत्ति लाइलाज बीमारी बन सकती है। संबंधित दल को भी ऐसे अमर्यादित आचरण का संज्ञान लेना चाहिए।

वस्तुतः 21वीं सदी आते-आते मुख्यधारा की राजनीति में अपराधियों और धन-पशुओं का वर्चस्व बढ़ने लगा था। छात्र संघ और छात्र राजनीति भी इस बदलाव से अछूती नहीं रह सकी। आज छात्र राजनीति मुख्यधारा की राजनीति का शार्टकट रास्ता है। उसमें घुसपैठ करने का प्लेटफार्म है। आज मुख्यधारा की राजनीति की जो भी बुराइयां हैं, वे छात्र राजनीति में भी साफ दिखाई देती हैं। बल्कि ये मुख्यधारा की राजनीति का पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) बन गई हैं। आज छात्रसंघ चुनाव जीतने की अर्हता जाति, धनबल और बाहुबल बन गया है। लालच और डर का खुला खेल दिल्ली विवि छात्र संघ चुनावों में होता है। नियमावली का उल्लंघन : लिंगदोह नियमावली की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। न केवल कालेजों और दिल्ली विवि की इमारतों को, बल्कि दिल्ली भर की सार्वजनिक इमारतों और संपत्ति को विरूपित किया जाता है। करोड़ों की स्टीकर और होर्डिंग लगाए जाते हैं।

प्रत्येक प्रत्याशी बड़ी-बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर प्रचार अभियान के लिए निकलता है। फार्म हाउस, क्लब, मल्टीप्लैक्स आदि की बुकिंग करके वहां पीने-खाने और नाचने-गाने की पार्टियां आयोजित की जाती हैं। सभी छात्र संगठनों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। जो प्रत्याशी या संगठन धनबल और बाहुबल का उपयोग नहीं करता, या उसके उपयोग में झिझकता है, उसे कमजोर मान लिया जाता है। पूरी चुनावी व्यवस्था इतनी दूषित हो चुकी है कि सही और सकारात्मक साधनों से लड़कर चुनाव जीतना लगभग असंभव है। इसके लिए केवल छात्र नेताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनके अलावा, उनके संगठन, चुनावी तंत्र और मतदाता यानी छात्र समुदाय भी इस चतुर्दिक गिरावट अकादमिक क्षमता, भाषण कला, मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्याशियों की की समझ और सक्रियता के प्रति छात्रों (मतदाताओं) की उदासीनता दुखद है।

नहीं कर रहे, बल्कि अधिकांश मामलों में, छात्र राजनीति में राजनेता छात्र का वेश धारण करके छात्र राजनीति की आड़ में दबंगई और गुंडागर्दी कर रहे हैं एवं राजनीतिक करियर की जमीन तैयार करते दिखाई पड़ते हैं। जो छात्र ही नहीं हैं, वे भला कैसी छात्र राजनीति करेंगे, इसे समझना कोई मुश्किल पहेली नहीं है। बढ़ती गुंडागर्दी और हिंसा के कारण कई राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली विवि छात्र संघ चुनाव में लिंगदोह नियमावली के उल्लंघन का गंभीर संज्ञान लिया था। लेकिन उसके द्वारा की गई कार्रवाई नाकाफी साबित हुई है। कुछ वर्षो से देखने में यह भी आ रहा है कि दिल्ली विवि छात्र संघ के चुने हुए छात्रनेता शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मियों और अधिकारियों आदि के साथ अभद्रता और मारपीट तक करने लगे हैं। विभिन्न कालेज छात्रसंघ भी उनकी ऐसी करतूतों की नकल करते हैं । कोई भी छात्र संगठन इस दुष्प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। पिछले साल भी ऐसी कुछ घटनाएं वायरल हुई थीं। हालांकि, तत्कालीन दिल्ली विवि छात्र संघ अध्यक्ष दूसरे दल और समुदाय से थे।

दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया विवि को गुंडों का चारागाह नहीं बनने गया तो वह दिन दूर नहीं जब छात्र नेता कैंपस में मनमानी करेंगे। होस्टल और गेस्ट हाउसों पर कब्जा करके चौथ/ लेवी को भी इन घटनाओं का स्वतः संज्ञान वसूलेंगे। लिहाजा माननीय न्यायालय लेकर ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया पर भी निरंतर निगरानी रखने की की राजनीति की बुराइयों के पूर्वाभ्यास का आवश्यकता है। छात्र संघ को मुख्यधारा मंच (प्लेटफार्म) नहीं बनने देना चाहिए। और कुप्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगाएंगे अगर हम निरंतर बढ़ती ऐसी घटनाओं. तो इस अपराध के सहभागी माने जाएंगे। लंदन स्कूल आफ इकोनमिक्स जैसे • कैंब्रिज, आक्सफोर्ड, हार्वर्ड, लिवरपूल, विदेशी संस्थानों में छात्र संघ की अत्यंत सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका और खेलकूद गतिविधियों एवं कैंपस होती है।

डीयू के फेस्टिवल में नहीं बजेगा तेज म्यूजिक, बनेगी समिति और नियम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में फेस्ट का सीजन चल रहा है। बड़े-बड़े कलाकारों के कंसर्ट हो रहे हैं। कालेजों के साथ परिसरों में हो रहे आयोजनों में तेज म्यूजिक बजाया जा रहा है। इस पर कई शिक्षक व छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अब विश्वविद्यालय इस समस्या से निपटने के लिए एक समिति गठित करेगा, जो म्यूजिक बजाने को लेकर नए नियम बनाएगी। डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब फेस्ट के दौरान म्यूजिक की ध्वनि तीव्रता की सीमा तय की जाएगी। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, जो ध्वनि के स्तर को निर्धारित करेगी, जिससे शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्रों में असुविधा को रोका जा सके। विश्वविद्यालय ने यह भी फैसला किया है कि जाति आधारित छात्र संगठनों को अब परिसर में आयोजनों के लिए स्थान नहीं दिया जाएगा।

कुलपति ने कहा, लगातार तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की मिल रही हैं शिकायतें

कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि लगातार तेज आवाज में कार्यक्रम आयोजनों की शिकायतें मिल रहीं हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए हम एक समिति बना रहे हैं, जो तय करेगी कि किस डेसिबल स्तर से अधिक संगीत नहीं बजाया जा सकता। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि वह किसी आयोजन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन शैक्षणिक परिसर की मर्यादाओं को बनाए रखना जरूरी है। उसे राजनीति का अखाड़ा बनने नहीं दिया जा सकता।

बता दें कि पिछले दिनों सीपीडीएचई के भवन में जाट सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें काफी तेज म्यूजिक बजाया गया था। इससे वहां मौजूद शिक्षकों को बहुत परेशानी हुई, जिसकी उन्होंने शिकायत की थी। उस दिन कक्षाएं नहीं लग सकीं। डीयू अकादमिक परिषद की सदस्य प्रो. लतिका गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों होली मिलन आयोजित किया गया था। तब यहां पुलिस बुलाकर आयोजन को रोका गया था। तेज म्यूजिक बजाकर छात्र थिरक रहे थे। इससे कक्षाओं का संचालन मुश्किल हो गया था। ऐसे आयोजनों पर नकेल कसे जाने की जरूरत है। इससे पहले कुछ कालेजों में भीड़ बढ़ने पर अराजक स्थिति उत्पन्न हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव ने एक पत्र देकर फेस्ट के लिए डीयू द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा था ।